जिला विधिक सेवा प्राधिकरण

(जिला एवं सेशन न्यायालय परिसर), निम्बाहेड़ा रोड, चित्तौड़गढ़

हैल्प लाईन नं. :– 8306002112 ई–मेल :–dlsa10chittorgarh@gmail.com

जिविसेप्रा / चित्तौ. / आर–2 / MUV / संविदा वाहन चालक / 2026 / 834 दिनांक :– 29 / 06 / 2026

–:: विज्ञप्ति ::–

माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के पत्र क्रमांक एफ–7(29) / रालसा –संस्था / नवीन वाहन चालक पद सृजन / 2026 / 453 दिनांक 24.06.2026 के निर्देशानुसार राजस्थान सरकार, विधि विभाग की आज्ञा संख्या प.08(1)विधि–2 / विरस(194) / 2026–68576 दिनांक 19.06.2026 के अनुक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, चित्तौड़गढ़ कार्यालय में उपलब्ध राजकीय वाहन (Maruti Suzuki XL6) के संचालन हेतु कार्मिक विभाग के परिपत्र एवं संविदा सेवाओं के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर जारी परिपत्रों के दिशा–निर्देशों की पालना में संविदा पर 01 वाहन चालक की सेवायें दिनांक 01.07.2026 से दिनांक 31.03.2027 तक लिये जाने हेतु राज्य सरकार के विभागों से सेवानिवृत कार्मिकों के आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं :–

क्र. सं.	कार्यालय का नाम	पद का नाम	पदों की संख्या
1	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, चित्तौड़गढ़	वाहन चालक (संविदा पद)	01

शर्तें :–

01. उक्त पदों पर सेवाओं के फलस्वरूप समेकित पारिश्रमिक राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमों, विनियमों के निर्देशानुसार देय होगी। कर्मचारीगण का चयन निम्न प्राथमिकता के क्रम में किया जायेगा।
   - ❖ उक्त परिपत्रों के प्रावधानों के अनुसार सेवानिवृत कर्मचारी।

02. ऐसे सेवानिवृत कार्मिक जिनकी आयु 65 वर्ष से अधिक नहीं हुई है, वे विज्ञप्ति के साथ संलग्न आवेदन पत्र के प्रारूप में मय वांछित दस्तावेजात प्रस्तुत करेंगे। उक्त वाहन चालक की सेवाएँ राज्य सरकार एवं राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर से प्राप्त आदेशों / निर्देशों / परिपत्रों के अध्यधीन प्रभावी रहेंगी।

03. ऐसे सेवानिवृत कार्मिकों, जिन्हें सेवा से अनिवार्य रूप से सेवानिवृत किया गया है या जिन्हें किसी अन्य रीति से दण्डित किया गया है, के संबंध में समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्ति के लिए विचार नहीं किया जायेगा।

04. कार्मिक को पुनर्नियुक्ति के समय नियमानुसार सक्षम चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य संबंधी चिकित्सा प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

05. समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्त कार्मिक की सेवा किसी भी शर्त के भंग करने पर या 15 दिवस का पूर्व नोटिस देकर सक्षम प्राधिकारी द्वारा समाप्त किए जाने के दायित्व के अध्यधीन होगी।

अतः सभी संबंधित को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित शर्तों पर सेवाएँ देने वाले इच्छुक सेवानिवृत वाहन चालक दिनांक 01.07.2026 को सायं 05:00 बजे तक इस कार्यालय में अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

आवेदन के साथ निम्नांकित दस्तावेज संलग्न किये जाने आवश्यक हैं :–

- ➢ विभाग द्वारा जारी सेवानिवृति आदेश की प्रति
- ➢ अन्तिम भुगतान प्रमाण–पत्र (एल.पी.सी.) की प्रति
- ➢ पी.पी.ओ. की प्रति

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
चित्तौड़गढ़ (राज.)

➢ विभागाध्यक्ष द्वारा जारी प्रमाण–पत्र (प्रारूप संलग्न है)

सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
(अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश)
चित्तौड़गढ़ (राज.)

जिविसेप्रा/चित्तौ./आर–2/MUV/संविदा वाहन चालक/2026/835-43 दिनांक :– 29/06/2026

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

01. श्रीमान् सदस्य सचिव महोदय, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर।
02. श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, चित्तौड़गढ़।
03. श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, चित्तौड़गढ़।
04. श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, चित्तौड़गढ़ को समस्त विभागों में सूचित करने हेतु।
05. समस्त अध्यक्ष, तालुका विधिक सेवा समितियाँ, जिला चित्तौड़गढ़ को जरिये ई–मेल नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
06. सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, समस्त राजस्थान।
07. सिस्टम अधिकारी, जिला न्यायालय, चित्तौड़गढ़ को कार्यालय की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
08. नोटिस बोर्ड, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, चित्तौड़गढ़
09. संबंधित पत्रावली।

सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
(अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश)
चित्तौड़गढ़ (राज.)

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
चित्तौड़गढ़ (राज.)

(राज्य सरकार के सेवानिवृत अधिकारी/कर्मचारी के सम्बन्ध में संविदा पुनर्नियुक्ति सेवाएं लेने के लिए)

आवेदन पत्र

01. सेवानिवृत कर्मचारी का नाम :– .....
02. पिता/पति का नाम :– .....
03. जन्म तिथि :– .....
04. पता मय मोबाइल नम्बर :– .....
.....
.....
05. आयु :– ..... वर्ष ..... माह ..... वर्ष .....
06. अर्हताएं :– .....
07. मूल विभाग का नाम :– .....
.....
08. सेवानिवृति से पूर्व धारित पद :– .....
.....
09. अनुभव :– .....
.....
10. सेवानिवृति के समय मूल वेतन (रनिंग पे बैण्ड वेतन, ग्रेड पे) एल.पी.सी. संलग्न करें। :– .....
11. मूल पेंशन (पी.पी.ओ. की प्रति संलग्न करें।) :– .....
12. धारित पद का वेतनमान (सेवानिवृति के समय) :– .....
13. विभागाध्यक्ष का प्रमाण पत्र (संलग्नानुसार) :– .....

(हस्ताक्षर मय दिनांक)

सेवानिवृत कर्मचारी द्वारा हस्ताक्षरित किये जाने के लिए वचनबंध

अधोहस्ताक्षरी राज्य सरकार के सेवानिवृत कार्मिकों के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र एवं माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर से प्राप्त आदेशों/निर्देशों में दिये गये सहमत निर्बधनों और शर्तों के अनुसरण में अनी सेवानिवृति के पश्चात् राज्य सरकार में पुनर्नियुक्ति सेवाओं को स्वीकार करने का इच्छुक है। अधोहस्ताक्षरी वचनबंध के उक्त निर्बधनों और शर्तों को मानने के लिए इसके द्वारा सहमत है और वचन देता है।

दिनांक
स्थान

हस्ताक्षर

सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
चित्तौड़गढ़ (राज.)

विभागाध्यक्ष का प्रमाण–पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर दिये गये आवेदन प्रारूप में बिन्दु संख्या 1 से 13 तक तथ्य सत्य पाये गये हैं और श्री/श्रीमती .....पुत्र/पत्नी श्री ..... जो सेवानिवृति से पूर्व ..... पद पर विभाग में कार्य कर रहा था, के सम्बन्ध में विभाग में उपलब्ध अभिलेख के आधार पर सत्यापित किये जाते हैं। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि विभाग में सेवा की कालावधी के दौरान श्री/श्रीमती ..... की सेवा और व्यवहार संतोषजनक रहा था और सरकार में वचनबन्ध के विचार के लिए उसकी अभ्यर्थिता की इसके द्वारा सिफारिश की जाती है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि सेवानिवृति के समय श्री/श्रीमती .... रूपये ..... मासिक मूल वेतन (रनिंग पे बैण्ड, वेतन+ग्रेड पे/पे–लेवल) आहरित कर रहा था/कर रही थी और कि श्री/श्रीमती ..... अधिवार्षिक आयु पूर्ण होने पर सेवानिवृत हो गया/गयी है और श्री/श्रीमती ..... के विरूद्ध कोई विभागीय जाँच/आपराधिक मामला लम्बित नहीं है तथा इनकी सेवाएं जिस पद के विरूद्ध ली जा रही हैं, उससे किसी प्रकार से नियमित कार्मिक की पदोन्नति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा।

विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षर
मय सील

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
चित्तौड़गढ़ (राज.)